रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 21 मार्च, 2003/30 फाल्गुन, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

अधिसूचना

बिलासपुर, 13 मार्च, 2003

संख्या बी0 एल0 पी0-पंच-6-16/79-III-611-17.—यतः खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) ने अपने कार्यालय पत्र संख्या 5728 दिनांक 22-1-2003 के अन्तर्गत सुचित किया है कि श्री सुरेश कुमार, जोकि ग्राम पंचायत सेऊ, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) में वार्ड पंच के

3999-राजपत्र/2003 21-3-2003--1,386. मूल्य : 1 रुपया

पद पर निर्वाचित हुए थे ने अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण दिनांक 27-12-2002 से अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है, जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत सेऊ द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 27-12-2002 के अन्तर्गत की गई है ।

अतः मैं, सोहन लाल सैनी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम, 135(2) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुरेश कुमार वार्ड पंच वार्ड नं0 1 ग्राम पंचायत सेऊ, विकास खण्ड घुमारवीं के त्याग-पत्र को दिनांक 27-12-2002 से सहर्ष स्वीकार करता हूं ।

सोहन लाल सैनी,
जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 6 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0(कु0) त्याग-पत्र.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 6890 दिनांक 10-2-2003 के साथ श्रीमती चिन्तामणी, पंच, सदस्य वार्ड संख्या 1 तेगूवेहड़ ग्राम पंचायत तेगूवेहड़ का त्याग-पत्र दिनांक 6-1-2003 में जिसमें उक्त पदाधिकारी ने अपने पद से घरेलू परिस्थितियों के कारण त्याग-पत्र दिया है जिसे खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू ने स्वीकार करने की सिफारिश की है ।

अत: मैं, जय लाल कन्नान, जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू जिला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 द्वारा पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्रीमती चिन्तामणी, पंच, सदस्य वार्ड संख्या 1—तेगुवेहड़, ग्राम पंचायत तेगुवेहड़ का त्याग-पत्र को दिनांक 6-1-2003 से स्वीकृत करता हूं तथा ग्राम पंचायत तेगुवेहड़ के उक्त वार्ड से पंच का पद रिक्त घोषित करता हूं ।

जय लाल कन्नान,
जिला पंचायत अधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 7 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु) कारण बताओ/त्याग-पत्र-436-40.—यह कि श्री दिला राम वार्ड पंच ग्राम पंचायत राहणू, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या पी0 सी0 एच0 (कु) 69-72, दिनांक 15 जनवरी, 2003 द्वारा 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये थे, क्यों न उन्हें हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत पंच पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए ।

तथा यह कि निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह माना गया कि उन्हें अपने पक्ष मे कुछ नहीं कहना है। क्योंकि उनके 8 जून, 2001 के बाद चौथी संतान दिनांक 27-4-2002 को उत्पन्न हुई है जिसके कारण वह हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (1) (ण) के अन्तर्गत पंच पद पर बने रहने के अयोग्य हो गये हैं जिस कारण उनके इस पद को रिक्त घोषित करना अनिवार्य हो गया है।

अतः मैं, आर० डी० नजीम, उपायुक्त, कुल्लू उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अधीन प्राप्त है, श्री दिला राम वार्ड पंच ग्राम पंचायत राहणू, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू को तत्काल पंच पद पर रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 131(1) के प्रावधान अनुसार पंच पद को रिक्त घोषित करता हूं।

कारण बताओ नोटिस

कुल्लू, 7 मार्च, 2003

संख्या पी०सी०एच० (कु०) कारण बताओ नोटिस/त्याग पत्र-431-35.—एतद्द्वारा श्री चांद कुमार उपप्रधान ग्राम पंचायत शाट, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो निम्नतः है :—

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं। परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नही होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारभ्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती।"

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खन्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है अर्थात 8 जून, 2001 के पश्चात यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान हैं तथा उक्त प्रावभान लागू होने के पश्चात अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा।

खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 6666, दिनांक 1-2-2003 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया जाता है कि आपके दिनांक 20-11-2001 को आठवीं सन्तान उत्पन्न हुई है जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर के क्रमांक 36 दिनांक 26-11-2001 में दर्ज है जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये।

कुल्लू, 7 मार्च, 2003

संख्या पी० सी० एच०(कु) कारण बताओ/त्याग पत्र-426-30.—एतद्दारा श्रीमती विमला वार्ड पंच, ग्राम पंचायत बजौरा वार्ड संख्या 3 शाढ़ीनाल, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि०प्र०) का ध्यान हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा, 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो निम्नत है:—

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं। परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है अर्थात् 8 जून, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान हैं तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा।

खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 6579 दिनांक 23-1-2003 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपके दिनांक 17-9-2001 को आठवीं सन्तान उत्पन्न हुई है जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर के क्रमांक 28 दिनांक 25-9-2001 में दर्ज है जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ती के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये।

हस्ताक्षरित/-
(आर0 डी0 नजीम),
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

शिमला, 15 मार्च 2003

संख्या पी0 सी0 एच0 एस0 एम0 एल0 (उप0 नि0) 2001-2-583-86.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड रामपुर बुशैहर के ग्राम पंचायत दत नगर के उप-प्रधान दत नगर वार्ड नं0 जो सामान्य निर्वाचन 2000 में निर्वाचित घोषित हुए थे ने अपने पद से सरकारी नौकरी में नियुक्ति के कारण त्याग पद दे दिया है। जिसे खण्ड विकास अधिकारी रामपुर बुशैहर के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा गया है। खण्ड विकास अधिकारी रामपुर बुशैहर ने इस त्याग पत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, सत्य पाल जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 130 (1) तथा पंचायती राज (सामान्य) नियम के नियम 135 के अर्न्तगत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त पदाधिकारी के त्याग पत्र को स्वीकृत करता हूं।

सत्य पाल,
जिला पंचायत अधिकारी,
शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त, सिरमौर, जिला सिरमौर स्थित नाहन (हि० प्र०)

कारण बताओ नोटिस

नाहन, 18 फरवरी, 2003

संख्या पी० सी० एन०-एस० एम० आर०(9)34/99:1033-38.—यह कि ग्राम पंचायत सेर जगास, विकास खण्ड राजगढ़ ने सूचित किया है कि श्री दौलत राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सेर जगास ने प्रधान ग्राम पंचायत सेर जगास की अनुपस्थिति में दिनांक 25-11-2002 को ग्राम पंचायत बैठक की अध्यक्षता करते हुए, बैठक 11.00 बजे शुरू की गई परन्तु श्री दौलत राम उप-प्रधान 11.13 बजे बिना किसी वाद-विवाद के पंचायत बैठक छोड़ कर पंचायत कार्यालय से चले गए और पांच बजे तक पंचायत कार्यालय नहीं लौटे जिसके कारण पंचायत की आगामी कार्यवाहीं न हो सकी ।

यह कि उक्त श्री दौलत राम, उप-प्रधान ग्राम पंचायत सेर जगास, विकास खण्ड राजगढ़, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करते समय बैठक से बिना कारण बताए ग्राम पंचायत के कार्य में बाधा डाल कर अपने कर्तव्य के निर्वहन में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उलंघना करने के दोषी पाए गए हैं ।

अतः मैं, ओंकार शर्मा, उपायुक्त, जिला सिरमौर, हि० प्र० उक्त श्री दौलत राम उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सेर जगास, विकास खण्ड राजगढ़, को यह कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उपरोक्त के दृष्टिगत उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए । उनका उत्तर इस नोटिस के 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होना चाहिए अन्यथा उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष मे कुछ नहीं कहना हैं ।

कार्यालय आदेश

नाहन, 18 फरवरी, 2003

क्रमांक पी० सी० एन०-एस० एम० आर० (धारा-122)/2002-1039-42.—यह कि जिला सिरमौर की पंचायती राज संस्थाओं के निम्न वर्णित पदाधिकारियों के बारे हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) में हि० प्र० पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000 (अधिनियम, सं० 18, 2000) की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड "ण" में विनिर्दिष्ट अवधि, दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त दो से अधिक अतिरिक्त शिशुओं को जन्म दिये जाने की रिपोर्ट सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों से प्राप्त हुई है :—

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पद तथा पंचायती राज संस्था का नाम	परिवार रजिस्टर के अनुसार 8-6-2001 से पूर्व जीवित बच्चों की संख्या	विनिर्दिष्ट अवधि 8-6-2001 के उपरान्त जन्मे शिशु की जन्म तिथि	जन्म पंजीकरण रजिस्टर की पृ० सं० व क्र० सं० व पंजीकरण की तिथि	आरक्षण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नरेन्द्र सिंह, सदस्य, वार्ड नं० 4—कुफर मौण्ड, ग्राम पंचायत कोटी पश्चोग, विकास खण्ड राजगढ़ ।	2 बच्चे पृ० सं० 75 पर दर्ज हैं।	3-12-2002	पृ० सं० 17, क्र० सं० 26, 16-12-2002	अनारक्षित
2.	श्री सोहन सिंह, सदस्य, वार्ड नं० 4—रजाना-2, ग्राम पंचायत, रजाना, विकास खण्ड संगडाह।	3 बच्चे पृ० सं० 97-98 पर दर्ज हैं ।	19-8-2000	पृ० सं० शुन्य, क्र० सं० 60, 6-9-2002	अ० जा०

1	2	3	4	5	6
3.	श्रीमती भूमि देवी, सदस्य, वार्ड नं0 1 शिलावड़ा—1, ग्राम पंचायत, शिलावड़ा, विकास खण्ड संगड़ाह ।	3 बच्चे पृ0 सं0 124 पर दर्ज हैं ।	15-11-2002	पृ0 सं0 8, क्र0 सं0 2, 22-11-2002	सा0 म0
4.	श्री मदन लाल, सदस्य, वार्ड नं0 6-काकोग, ग्राम पंचायत माईना धुडेल, विकास खण्ड संगडाह ।	3 बच्चे पृ0 सं0 117 पर दर्ज हैं ।	20-8-2002	पृ0 सं0 शुन्य, क्र0 सं0 47, 9-9-2002	अनारक्षित

यह कि उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु उक्त पदाधिकारियों को नोटिस जारी किये गये, किन्तु इन पदाधिकारियों में से कोई भी बाबजूद इत्तलाह के उपस्थित नहीं आया तथा इन सबके विरुद एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । उपरोक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत परिवार रजिस्टर तथा जन्म पंजीकरण रजिस्टरों के अवलोकन से उक्त तथ्यों की पृष्टि हो गई है ।

अतः मैं, ओंकार शर्मा, भा0 प्र0 से0, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 122(1) में उक्त अधिनियम के संशोधन अधिनियम संख्या 18,2000 की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड "ण" के अन्तर्गत उपरोक्त समस्त चारों पदाधिकारियों को अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 131 (1) के अन्तर्गत जिला सिरमौर की उपर्युक्त ग्राम पंचायतों के उपरवर्णित पदों को रिक्त भी घोषित करता हूं ।

ओंकार शर्मा,
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन, हि0 प्र0 ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

नाहन, 28 फरवरी, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0(5) 50(11)/96-1094-1107.—यह कि श्री मोहर सिंह, सदस्य, वार्ड नं0 7, कुटवी-पनारा भोग-वठेवड़ी (अ0 जा0), ग्राम पंचायत नौहराधार, विकास खण्ड संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित हो कर उसकी पत्नी श्रीमती इन्द्रा देवी द्वारा दिनांक 11-7-2002 को एक तीसरे अतिरिक्त शिशु को जन्म दिए जाने के कारण तथा हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) में उक्त अधिनियम के 18वें संशोधन, 2000 की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड (ण) के अन्तर्गत अयोग्यता हो जाने के कारण अपनी स्वेच्छा से अपना उक्त सदस्यता से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष त्याग-पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः मैं, एम0 एस0 नेगी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 तथा हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त सदस्य, श्री मोहर सिंह का त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं ।

एम0 एस0 नेगी,
जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित